

[भारत के राजपत्र के भाग ॥, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 12/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. (अ).-सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 291(अ) दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"18.	मशीनरी, उपस्कर, उपकरण, घटक, कल-पुर्जे, औजार, सहायक उपकरण, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, माक अप्स और मॉडल, कच्चा माल तथा उपभोग की सामग्री जो कि वित्त मंत्रालय के लाइट कम्बैट एयर क्राफ्ट प्रोग्राम (एलसीएपी) के उद्देश्य से आवश्यक हो।	यदि,- (क) उक्त माल का आयात एलसीएपी के उन प्राधिकृत निर्माण केन्द्रों के द्वारा किया जाता हो जिसको कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कम-से-कम उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;- और (ख) ऐसे आयातकर्ता हर मामले में आयात के समय उक्त माल की सूची सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त, सीमाशुल्क को सौंपते हों जिसमें उसका सुसंगत विवरण होगा अर्थात्,- (1) वरिष्ठ प्रबंधक या सहायक निदेशक, ऐरो नॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा यह विधिवत प्रामाणित किया जाये कि उक्त सूची में उल्लिखित माल वित्त मंत्रालय के एलसीएपी के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग केवल एलसीएपी के लिए ही किया जायेगा और इनका विनिर्माण

		<p>भारत में नहीं होता है:- और</p> <p>(2) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के कम-से-कम अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि उल्लेखित सूची में आयातित माल रक्षा मंत्रालय के एलसीएपी के उद्देश्यों के अनुसार आयातित किये गये हैं।</p> <p><i>स्पष्टीकरण:-</i> इस छूट का प्रभाव 01 जुलाई, 2019 और इसके बाद से नहीं रहेगा।”</p>
--	--	---

[फा.सं. 354/76/2006-टीआरयू]

(रूचि बिस्ट)

अपर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क दिनांक 23 जुलाई, 1996 को सा.का.नि. 291 (अ) दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 43/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।